

BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF GAZETTED OFFICERS, SEPTEMBER 2020

PAPER-I FINANCIAL ADMINISTRATION
(EVENING SESSION)

Time Allowed: 03 hours

Maximum Marks: 100

- Notes:** i) Attempt any two questions from Part I and any three from Part II.
ii) All questions carry equal marks.
iii) Only approved reference books are allowed.
iv) Indicate the same question number and its part as assigned in the question paper while answering the same.
v) Quote relevant Rule(s) in support of your answers where necessary.

PART-I

- Q.No.1** What principles have to be followed while declaring the goods as surplus/obsolete/unserviceable and also explain the important aspects to be kept in mind before disposing off the goods? (20)
- Q.No.2** a) State the procedure for communication of financial orders and sanctions? (14)
- (b) What instructions have to be followed where assumption of charge involves responsibility for cash, stores etc.? (06)
- Q.No.3** (a) What procedure has to be followed for refund of receipts through Cyber Treasury? (15)
- (b) What checks are to be exercised by the Bill Assistant before passing the bills presented for payment in the Treasury? (05)
- Q.No.4** Write short notes on the following: -
- (i) Functions of Niti Aayog.
 - (ii) Role of Finance Commission.
 - (iii) Buy Back Offer.
 - (iv) e-Payment/Online payment.
- (7+7+3+3=20)

PART-II

- Q.No.5** (a) A Govt. Servant retired on superannuation on 31.12.2019 after rendering a qualifying service of 30 years 07 months and 12 days. At the time of his retirement, he was drawing a Pay of Rs. 31540 + 7800 GP, DA @ 153%, IR @ 21% and HRA @ Rs. 2000 p.m. Calculate the following pensionary benefits in his case:
- i) Pension on superannuation
 - ii) Retirement Gratuity
 - iii) Commutation Value of pension
 - iv) Family Pension
- (b) Describe the procedure for restoration of commuted portion of pension. (16+4=20)
- Q.No.6** (a) Explain different purposes for which withdrawals from General Provident Fund are permissible. (12)

नोट:-

1. खण्ड-1 से दो प्रश्न तथा खण्ड-2 से कोई भी तीन प्रश्न हल करें।
2. सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
3. केवल अनुमोदित संदर्भ पुस्तकें ही लाना मान्य है।
4. उत्तर देते समय वही प्रश्न व पार्ट लिखें, जो प्रश्न पत्र में अंकित है।

खण्ड-1

- प्रश्न सं. 1 माल को अधिशेष (फालतू)/अप्रचलित/अनुपयोगी घोषित करते समय किन सिद्धांतों का पालन करना होगा तथा माल का निपटान करते समय किन महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखा जायेगा? (20)
- प्रश्न सं. 2 (क) वित्तीय मंजूरीयों और आदेशों की संसूचना के लिये वित्त नियमानुसार क्या प्रक्रिया है? (14)
(ख) ऐसे मामलों में जहां कार्यभार के अंतरण में रोकड़, भण्डार के सामान इत्यादि के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण अंतर्वलित हो, में किन अनुदेशों का पालन किया जाएगा? (06)
- प्रश्न सं. 3 (क) साईबर ट्रेजरी के माध्यम से प्राप्ति की वापसी की प्रक्रिया का क्या विवरण है। (15)
(ख) बिल सहायक द्वारा कोष में प्रस्तुत बिलों को पास करने से पहले किन पहलुओं पर जांच करनी अनिवार्य है। (05)

प्रश्न सं. 4 निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखें:

1. नीति आयोग के कार्य
2. वित्त आयोग की भूमिका
3. क्रय द्वारा वापिस लेने का प्रस्ताव (Buy Back Offer)
4. ई-भुगतान/ऑनलाईन भुगतान

(7+7+3+3=20)

खण्ड-2

- प्रश्न सं. 5 (क) एक सरकारी कर्मचारी 30 साल 7 महीने 12 दिनों का सेवाकाल पूरा करने के उपरान्त 31.12.2019 को सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्ति के समय वह मूल वेतन रु 31540 + रु 7800 + ग्रेड पे, महंगाई भत्ता 153 % की दर से, अंतरिम राहत 21% की दर से तथा मकान किराया भत्ता 2000रु प्रतिमाह की दर से आहरित कर रहा था।
उपरोक्त के आधार पर निम्नलिखित पेंशन लाभों की गणना करें:-
1. सेवानिवृत्ति पर पेंशन
 2. सेवानिवृत्ति ग्रच्यूटी (उपदान)
 3. पेंशन का संराशीकरण
 4. परिवारिक पेंशन
- (ख) पेंशन संराशीकरण का फिर से बहाल करने की प्रक्रिया क्या है? (16+4=20)

- प्रश्न सं. 6 (क) भविष्य निधि खाते से किन्न-किन्न प्रयोजनों हेतु निकासी की जा सकती है? (12)
(ख) सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के नहीं की जा सकती है क्या इन नियमों में कोई छूट है? (08)

(b) No person is appointed to a post in Government service without a medical certificate of health. Are there any exceptions to this rule? (08)

Q.No.7

(a) Prepare the Earned Leave Account from the following particulars and report the leave at his credit on 15.07.2018:

- (i) Leave at credit on 01.11.2014: EL -195 days, HPL - 420 days
- (ii) Availed Commuted leave on MC w.e.f. 01.03.2015 to 30.04.2015
- (iii) Unauthorised absence from 07.08.2015 to 05.10.2015 treated as 'dies non' without entailing forfeiture of past service.
- (iv) Availed Earned leave from 26.06.2016 to 15.07.2016
- (v) Availed Earned leave for 5 days from 01.04.2017 followed by Commuted leave on MC upto 31.05.2017.
- (vi) EOL availed from 01.07.2017 to 28.09.2017.
- (vii) Availed Earned leave for 88 days from 01.03.2018 to 27.05.2018

(b) On the balances of Earned Leave account worked out above, calculate the cash equivalent of leave salary, if the Government servant takes voluntary retirement, w.e.f. 15.07.2018, on the basis of following emoluments:

Basic Pay	:	Rs. 39100 + 8400 GP	
DA	:	Rs. 72675.00	
IR	:	Rs. 9975.00	(16 +4=20)

Q.No.8

Comment on the following:

(i) A Clerk who is on casual leave applies for earned leave to avail LTC in continuation of casual leave.

(ii) A Government servant who is on extension of service after the prescribed date of retirement was promoted to a higher post.

(iii) A Government servant applies for commuted leave for 60 days from 1st June on the ground of serious illness of his father. He had already availed 200 days of commuted leave during his service.

(iv) The competent authority refused to pay subsistence allowance to a Government servant as the charge against him was very grave.

(v) A Government servant on transfer from Shimla to Kullu claims TA for his widowed daughter wholly dependent upon him and residing with him.

(vi) The Controlling Officer allowed DA for the casual leave availed by the Government servant while on tour.

(vii) An advance of LTC was sanctioned in favour of Shri X for visiting his home town in the June, 2019 but Shri X was placed under suspension from May, 2019.

(viii) The DDO presented the travelling allowance claim to the Treasury after 10 months from the date of submission by the claimant and it was entertained by the Treasury.

(2.5x8=20)

प्रश्न सं. 7 (क) नीचे दिये गये विवरण के आधार पर अर्जित अवकाश खाता तैयार करें तथा 15.07.2018 तक की छुटियों का ब्यौरा तैयार करें:-

1. 01.11.2014 को अवकाश शेष अर्जित अवकाश-195 दिवस अर्धवेतन अवकाश-420 दिवस
2. 01.03.2015 से 30.04.2015 तक चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर लिया गया परिवर्तित अवकाश
3. 07.08.2015 से 05.10.2015 तक अप्राधिकृत अवकाश जिसे 'अकार्य दिवस' माना गया परन्तु पिछली सर्विस को समाप्त नहीं किया गया।
4. 26.06.2016 से 15.07.2016 तक अर्जित अवकाश लिया।
5. 01.04.2017 से 5 दिन का अर्जित अवकाश तथा उसके उपरान्त 31.05.2017 तक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर परिवर्तित अवकाश का उपयोग किया
6. 01.07.2017 से 28.09.2017 तक बिना वेतन अवकाश का उपयोग
7. 01.03.2018 से 27.05.2018 तक 88 दिनों का अर्जित अवकाश लिया।

(ख) उपरोक्त अर्जित अवकाश खाते में शेष के आधार पर अवकाश के बदले नकद भुगतान की गणना करें यदि सरकारी कर्मचारी 15.07.2018 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तथा वह निम्न वेतन आहरित कर रहा हो :-

मूल वेतन	-	मू. 39100 + 8400 ग्रेड पे
महंगाई भत्ता	-	72675.00रु
अंतरिम राहत	-	9975.00रु

(16+4=20)

प्रश्न सं. 8 निम्नलिखित पर टिप्पणी करें:-

1. एक लिपिक जो आकस्मिक अवकाश पर है ने अवकाश यात्रा रियायत के लिये आकस्मिक अवकाश के साथ अर्जित अवकाश के लिये आवेदन किया।
2. एक सरकारी कर्मचारी को प्रस्तावित सेवा अवधि के बाद बढ़ी हुई सेवा अवधि में उच्च पद पर पदोन्नति दे दी गई
3. एक सरकारी कर्मचारी ने 1 जून से अपने पिता की गम्भीर बिमारी के ईलाज के लिए 60 दिन के परिवर्तित अवकाश के लिये आवेदन किया। कर्मचारी ने इससे पूर्व अपनी पूरी सेवा के दौरान 200 दिन का परिवर्तित अवकाश उपभोग कर लिया था।
4. सक्षम अधिकारी द्वारा एक सरकारी कर्मचारी को गुजारा भत्ता देने से इस लिये इन्कार कर दिया गया क्योंकि उसके उपर लगाये गये आरोप बहुत गम्भीर है।
5. एस सरकारी कर्मचारी ने शिमला से कुल्लू स्थानान्तरण पर अपनी विधवा पुत्री, जो कि उस पर पूर्ण तथा आश्रित थी, का यात्रा भत्ता भी ले लिया।
6. नियन्त्रण अधिकारी द्वारा कर्मचारी द्वारा प्रवास के दौरान लिये गये आकस्मिक अवकाश का दैनिक भत्ता देने की अनुमति दे दी।
7. श्री एकस (X) के पक्ष में अपने गृह नगर जाने के लिये जून 2019 में अवकाश रियायत अग्रिम स्वीकृत किया गया परन्तु मई 2019 में श्री एकस (X) को निलम्बित कर दिया गया।
8. आहरण एवं वितरण अधिकारी ने दावेदार द्वारा प्रस्तुत बिल को 10 माह के बाद कोष में प्रस्तुत किया और इस बिल को कोष द्वारा इसे संज्ञान में ले लिया। (2.5x8=20)
